

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
-::कार्यालय आदेश::-

का0आ0-15/बि0स0से0-03-02/2024 सा0प्र0...316.../पटना-15, दिनांक...08.06.26


विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-312 दिनांक-08.06.2026 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के 02 (दो) प्रशाखा पदाधिकारी एवं 02(दो) सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को दिनांक-08.06.2026 से दिनांक-09.06.2026 तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में प्रतिनियुक्त किया गया।

2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक-2453 दिनांक-08.06.2026 द्वारा कतिपय कारणों से उपर्युक्त वर्णित तिथि के स्थान पर संबंधित पदाधिकारियों को दिनांक-10.06.2026 से दिनांक-11.06.2026 तक आयोग में प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

3. अतः विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-312 दिनांक-08.06.2026 द्वारा की गयी प्रतिनियुक्ति आदेश को रद्द करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को दिनांक-10.06.2026 से दिनांक-11.06.2026 तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है-

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम/ कोटि क्रमांक/ पदनाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग	मोबाईल न0
1	2	3	4
1	श्री सिद्धनाथ शुक्ल, 713/2026 (प्रशाखा पदाधिकारी)	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	9470468189
2	श्री शम्भु शंकर, 1106/2026 (प्रशाखा पदाधिकारी)	गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना	9905555929
3	श्री रौशन कुमार, 2243/2026 (सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	7004648395
4	श्री मुकेश कुमार महर्तो, 2270/2026 (सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)	लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	7079042413

4. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(केशव कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-15/बि0स0से0-03-02/2024 सा0प्र0...316.../पटना-15, दिनांक...08.06.26

प्रतिलिपि:- सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, लघु जल

संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित विभाग/कार्यालय से अनुरोध है कि प्रतिनियुक्त प्रशाखा पदाधिकारी/ सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को दिनांक-09.06.2026 तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में योगदान हेतु विरमित करने की कृपा की जाय। यदि प्रतिनियुक्त प्रशाखा पदाधिकारी/ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अवकाश/प्रशिक्षण/पटना से बाहर पदस्थापित हों अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण विभागीय कार्य का निष्पादन कर रहे हों तो विभाग यदि चाहें तो उनके स्थान पर किसी अन्य सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से आयोग कार्यालय में करते हुए इस विभाग को सूचित करेंगे।

साथ ही प्रतिनियुक्त प्रशाखा पदाधिकारी/ सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा यदि उनके स्थान पर किसी अन्य प्रशाखा पदाधिकारी/ सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को आयोग कार्यालय में दिनांक-09.06.2026 तक विरमित नहीं किया जाता हो तो उक्त स्थिति में वे स्वतः विरमित होकर दिनांक-10.06.2026 को आयोग कार्यालय में योगदान करेंगे एवं कार्य की समाप्ति के उपरांत अपने विभाग/कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।



08.06.2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक:-15/बि0स0से0-03-02/2024 सा0प्र0.3!6./,पटना-15, दिनांक...08.06.2026...

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



08.06.2026

सरकार के संयुक्त सचिव।